✓ CONTRACT (h-3)

अनुबंध अंग्रेजी शब्द 'Contract' का हिंदी अनुवाद है जो लैटिन भाषा के 'Contractus' शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है 'साथ मिलना'।

जब दो या उससे अधिक व्यक्ति किसी ठहराव करने के लिए राज़ी होते है जिसमें दोनों का लाभ होता है उसे 'अनुबंध' कहते है।

प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों की बीच वैधानिक दायित्वों एवं अधिकारों की उत्पति करता है 'अनुबंध' कहलाता है।

अनुबंध एक वैधानिक शब्द है जो दो व्यक्तियों के अथवा समूहों के बीच किसी कार्य को करने के लिए एवं ना करने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक समझौता जो कानूनी व्यवहार का तथा अधिकार जो दो पक्ष के बीच उत्पन्न करता है अनुबंध कहलाता है।

* Definations of Contract :—

- **According to Salmond,** "अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो दो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उसकी व्याख्या करता है।"
  यह परिभाषा समझौते की वैधानिकता को स्पष्ट नही किया है एवं ना ही इसके दायित्वों को।

- **According to William Anson,** "अनुबंध एक प्रकार का समझौता है जो प्रत्यक्ष रूप से होता है एवं दायित्व उत्पन्न करता है।"
  'इसमें वैध अनुबंध का कोई उल्लेख नही है एवं ना ही दायित्वों का स्पष्ट किया गया है।"

- **According to Justice Leake,** "अनुबंध, वैधानिक अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जिसके द्वारा एक पक्षकार कुछ कार्य संपादित करने के लिए दुसरे पक्षकार से समझौता करती है जो वैधानिक होता है तथा इसमें दोनो पक्षों का लाभ भी निहित होता है।

यह परिभाषा लगभग सभी बातों को सम्मिलित किया हुआ है अतः यह सभी आलोचनाओं से मुक्त है।"

- **According to Sir Frederic Pollock:"**

अनुबंध प्रत्येक ठहराव एवं वचन जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय है, में शामिल रहता है।"

- **According to Indian Contract Act 1872:"**

प्रत्येक वचन या वचन का समूह जो एक-दुसरे के लिए परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है।"
भारतीय अनुबंध अधिनियम pollock द्वारा दिए गए परिभाषा को ही अमल बनाती है।

* Characteristics of Contract's Definitions

अनुबंध के इस परिभाषाओं की विशेषताएँ निम्न है :-

(i) प्रत्येक अनुबंध के पहले एक ठहराव होता है।

(ii) केवल वही ठहराव अनुबंध है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है।

(iii) अनुबंध के लिए कम-से-कम दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है।

(iv) अनुबंध के लिए एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वैधानिक रूप से कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए बाध्य कर सकता है।

(v) अनुबंध = ठहराव + अधिनियम द्वारा प्रवर्तनीयता

(vi) • **Characteristics of Contract**

वैध- अनुबंध के आवश्यक लक्षण निम्न है :—

(i) **एक से अधिक पक्षकारों का होना**

अनुबंध का सबसे पहला लक्षण यह है कि इसमें एक या एक से अधिक तथा दो या दो से अधिक पक्षकार होने चाहिए। इन पक्षकारों में एक प्रस्तावक एवं दूसरा स्वीकारकर्ता होना चाहिए जिसमें प्रस्तावक प्रस्ताव